फौज.मूल प्रकरण संख्या 164/19 आसिफ खान बनाम अकबर अली

18.03.2026

परिवादी आसिफ खान अनुपस्थित की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह राणावत ने हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। अभियुक्त अनुपस्थित। प्रकरण हरिराम कानि 950 पीएस सरवाड ने सम्पत्ति सूची पेश की। साक्षी तामील कुनिन्दा हरिराम कानि 952 को साक्ष्य मफरूरी में परीक्षित किया गया जिसने अपने बयानों में सशपथ कथन किया है कि वह वारंट में अंकित पते पर गया तथा अभियुक्त के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि पिछले तीन चार सालों से अभियुक्त वारंट में अंकितपते पर निवास नहीं करता है। अभियुक्त को ढूंढने का भरसक प्रयत्न किया पर वह नहीं मिला तथा जिसने अपने बयानों में अभियुक्त अकबर अली का कोई अता पता नहीं होने तथा निकट भविष्य में नहीं मिलने की संभावना व्यक्त की। बयानों में तस्दीक शुदा रिपोर्ट मार्क 01, गिरफतारी वारंट मार्क 02 है जिस पर सी से डी उसकी अदम तामीली रिपोर्ट तथा ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नगर पालिका सरवाड द्वारा जारी सम्पत्ति सूची मार्क 03 है। उपरोक्त बयानों के अवलोकन से दृष्टिगत होता है कि अभियुक्त अकबर अली के निकट भविष्य में मिलने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी सकूनत से रूहपोश है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त अकबर अली को मफरूर घोषित किया जाता है। उसके विरूद्ध यदि धारा 446 सीआरपीसी की कार्यवाही नहीं खोली गई है तो खोली जावे तथा धारा 82–83 सीआरपीसी की कार्यवाही भी पृथक से खोली जावे। अभियुक्त का स्थाई गिरफतारी वारंट जारी कर सम्बन्धित पुलिस थाने से मफरूरी के इन्द्राज क्रमांक मंगवाये जावे। पत्रावली पर नोट अंकित किया जावे कि उक्त प्रकरण में मुल. मफरूर है पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे। अतः अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जावेगी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरवाड जिला-अजमेर

S/W SHO सरवाड़
280
18/3/26